



2026 : AHC -LKO:42246

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4699/2026

सोनू उर्फ शुभम शुक्ला

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य सचिव गृह सरकार, लखनऊ

..... विरोधी पक्षकार

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: कपिल मिश्रा

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका याचिकाकर्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 282/2026, अंतर्गत धारा 3(5), 109(1), 117(2), 140(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली सिटी, जनपद हरदोई में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 24.04.2026 से जेल में है। उन्होंने यह भी बताया कि सह-आरोपी हर्षित सिंह को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 3.6.2026 को आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 3988/2026 में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं करते कि सह-आरोपी हर्षित सिंह को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता के परस्पर विरोधी तर्कों, अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, अपराध की प्रकृति और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

आवेदक - **सोनू उर्फ शुभम शुकला** - को उपरोक्त मामले में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक को यह वचन पत्र देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता /269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता /84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता /209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगी।

(vi) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता /351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो ट विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है। उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

29 जून, 2026

मयंक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।